न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 67/20 ता0 रजु. 6-1-20 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 4-8

सरकार

बनाम

रमेश पुत्र किशन लाल धाकड़ खानुवाद तह0 बयाना जिला—भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खानुवाद ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खानुवाद के खसरा न0 28/1 रकवा 0.80 हैक्ट में से रकवा 0.08 हैक्ट किस्म भूमि चारागाह पर सम्वत 2076 में श्री रमेश पुत्र किशन लाल धाकड़ खानुवाद तह0 बयाना ने जोत कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव पेश किया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिकमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिकमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 28/1 रकवा 0.08 हैक्ट वाके ग्राम खानुवाद से बेदखल किया जाता है। लगान 1.28 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 64/= रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू—अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 4-8-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

बा. जे. सं. 15
दिनांक 5/11/20
पैनल्टी रू. 64/

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Girraj Prasad Bansal
Date: 2022.02.04 11:45:30 IST
Reason: SelfAttested